ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-7* August- 2017
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम एवं नीतिगत क्रियान्वयन

विजय लक्ष्मी मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर,
एम0एड0 विभाग,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज,
गोरखपुर

सारांश

1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सर्वप्रथम महिला सशक्तीकरण को परिभाषित किया गया। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य – महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक,सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों मेंउनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।

भारत में महिला सशक्तीकरण से आशय प्राथमिक रुप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार लाना है, महिला सशक्तिकरण की दिशा मे किये जा रहे प्रयासों को ठोस रुप देने के लिये 1993 में बीजिंग में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में विधायिका में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न संदर्भ में इसे एक बहुआयामी अवधारणा का रूप प्रदान करते है। ये आयाम हैं –राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण आदि।

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 15 एवं 16 (मौलिक अधिकार) तथा अनु0 38 तथा 39 (राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत) के द्वारा स्त्री और पुरूष के मध्य केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव करने का निषेध किया गया है। अनु0 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम पर रोक लगाता है। उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी स्त्रियों के कल्याण से सम्बंधित अनेक विधानों का निर्माण हुआ जिनके चलते स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। महिला विकास सम्बंधी नीतियाँ एवं क्रियान्वयन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, महिला एवं बाल–विकास राष्ट्रीय महिला आयोग,महिला समाख्या कार्यक्रम आदि।

राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए व राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को देश भर में पूरी तरह लागू करने के लिए 10 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गई है।अध्ययन से स्पष्ट है कि एक बालिका ही सशक्त महिला बन अपने परिवार ,समाज और राष्ट्र के निर्माण एवं उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब हम महिला सशक्तीकरण की बात करतें हैं तो हमारा तातपर्य महिलाओं के समग्र विकाससे है। उनके समग्र विकास विकासके लिये उन्हे उचित पोषण स्वास्थ्य देखभाल ओर शिक्षा के अवसर के साथ साथ जीवन के प्रत्येक स्तर पर बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर तथा संसाधन उपलब्ध हो,यह सुनिश्चित करना है।

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, महिला–सशक्तिकरण ,आयाम एवं नीतियां ।

प्रस्तावना

समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा क्योंकि महिलायें समाजकी आधी जनशक्ति होती हैं। सदैवसे यातना और शोषण की शिकार रही महिला के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमरीका में वूमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ शुरु हुआ, पांचवे दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मावनाधिकारों की घोषणा के साथ ही महिलाओं के लिये विश्व स्तर पर समानता की बात उठी, महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने तथा लिंग भेदभाव समाप्त करने में संयुक्त राष्ट संघ की मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा नेप्रेरक का कार्य किया।

1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य–महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक,मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों मेंउनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण से आशय प्राथमिक रुप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार लाना है , महिला सशक्तिकरण की दिशा मे किये जा रहे प्रयासों को ठोस रुप देने के लिये 1993 में बीजिंग में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में विधायिका में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं द्वारा अपने जीवन के सम्बंध में अपनी पसन्द के निर्धारण तथा समाज में और अधिक भूमिका निर्वहन पर बल देता है। अन्य अर्थ में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति या सत्ता दिये जाने से है। महिला सशक्तिकरण का संवाद सशक्तिकरण की सैद्धान्तिक व्याख्या से होना चाहिये , जिसका अर्थ महिलाओं की उन शक्तियाँ व क्षमताओं के निर्माण से है, जिससे वे स्वयं निर्णय लेने की, स्थिति में आ जाएं। इस क्षेत्र में क्षमताओं की वृद्धि प्रमुख आग्रह कहा जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण को महिला अधिकारों के संदर्भ में देखने पर स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि नारीवादी चिंतन ने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अतः महिला सशक्तिकरण को समझने हेतु महिलावादी चिंतन का ऐतिहासिक परिचय आवश्यक है।

महिलावादी विमर्श का प्रांरभ ''1972 में प्रकाशित मेरी वॉल्स्टन क्राफ्ट'' की पुस्तक 'A Vindication of the Rights of Women' से माना जा सकता हैं मेरी वाल्स्टक्राफ्ट के समान ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने 'On the subjection of women (1869)' में स्त्री–पुरूष सम्बंध को प्रभुत्व पर नहीं वरन् मैत्री पर आधारित करने पर बल दिया)

19वीं शताब्दी में ही महिला केन्द्रित विषय अथवा प्रश्न पर मार्क्सवादी दृष्टि से लिखी गई पुस्तक बेबेल की नारी और समाजवाद (1879) प्रमुख थी।

20वीं शताब्दी के मध्य में अस्तित्ववादी चिन्तक सिमोन द बूवो की 1949 में प्रकाशित कृति 'The Second Sex' ने महिलावादी विमर्श को सर्वथा नवीन दृष्टि प्रदान की।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना से ही महिला प्रस्थिति को सशक्त करने हेतु कार्य किया। सशक्तिकरण में मानवाधिकारों की अहम भूमिका होती है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय–समय पर विभिन्न इकरारनामे और घोषणायें की गई।

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न संदर्भ में इसे एक बहुआयामी अवधारणा का रूप प्रदान करते है–

राजनीतिक आयाम

महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न मूल रूप से महिलाओं के लोकतांत्रिक एवं उनके मानवाधिकारों का प्रश्न है, जो कि आंशिक रूप से सार्वभौमिक एवं संस्कृतिनिष्ठ है। यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से प्रारंभ मानवाणिकार एवं महिला आन्दोलन ने लिंग भेदभाव तथा असमानता के प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचो पर राजनीतिक मुद्दों के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस संदर्भ में संयुक्त चार्टर के अतिरिक्त 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं दशक के अन्तर्गत महिलाओं के लिए समानता, विकास एवं शान्ति के उद्देश्यों का संकल्प, 1979 में लैंगिक हिंसा को महिला गरिमा का हनन माना गया।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण का परिणाम है। महिलाओं को लम्बे समय तक नीति विषयक मामलों से दूर रखा गया। पाश्चात्य दर्शन में वैयक्तिक समानता के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित लोकतांत्रिक विचाराधारा की प्रभुता स्थापित हो जाने के साथ ही इसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा तथा भारतीय दर्शन की मूल भूत धारणा 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' का सम्मेलन हो जाने से भारतीय समाज एवं राजनीति में महिलाओं को अधिक बौद्धिक स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान कर नवीन समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिकाओं को अधिक कारगार बनाने हेतु नारी जागृति आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इस आन्दोलन के जनक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा दयानंद सरस्वती है। जिन्होंने सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या, आदि कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया। महिला शिक्षा पर जोर दिया। लम्बे संघर्ष के उपरान्त भारत को मिली स्वतंत्रता में महिलाएँ भी भागीदारी थी। अतः राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को स्वतः आवश्यक पाया गया जो महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुआ।

भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक उत्थान से सम्बंद्ध कई योजनाए सरकार द्वारा रखी ताकि मौलिक अधिकारों के माध्यम से उन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिया जा सके। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा संस्कृति व शिक्षा के अधिकार महिला तथा पुरूष को समान रूप से दिये गये।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु विस्तरीय ग्रामीण पंचायतों एवं शहरी निकायों में सभी स्तरों पर एक तिहाई स्थान सुरक्षित करने हेतु संविधान में 73वां एवं 74वां संशोधन किया गया।

गाँधी जी के अनुसार ''स्त्रियों को तो मताधिकार होना ही चाहिए साथ ही साथ उन्हें कानून के तहत समान दर्जा भी मिलना चाहिए।''

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के विषय में पंडित नेहरू द्वारा कुछ प्रसंगों विधान सभाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, संसद आदि के प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 50 फीसदी होने का महत्व दिया गया।

भारतीय संविधान के अनु0 55 के तहत किसी को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। संविधान के भाग–4 अनु0 36–51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत महिला–पुरूष को समान रोजगार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। अनु0 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है। संविधान में इन प्रावधानों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि भारत में विधि का शासन है तथा पुरूष एवं महिलाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है।

पं0 नेहरू द्वारा नियोजन लागू करते समय माना गया कि भारत का भविष्य पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं पर आधारित होगा। महिला व बाल विकास को प्राथमिकता देते हुए महिला व बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गयी।

महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिये जाने के लिए सन् 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की गई कि सभी समितियों एवं आयोगों में महिला के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण दिये जाये। राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का परिचायक हैं।

महिला सशक्तिकरणः सामाजिक आयाम

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम के अन्तर्गत समाज में कानून व सुरक्षा का पाया जाना, अपराधीकरण पर रोक, महिला उत्पीड़न को यथासंभव दूर किया जाना तथा दंड प्रक्रिया में व्यापक सुधार, आर्थिक आत्म निर्भरता, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को निर्धारित करती है।

सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा को माना गया है। शिक्षा मानव में सामाजिक मूल्यों को स्थापित करती है। सन् 1882 में साक्षर महिलाओं की संख्या 2045 मात्र थी जो सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 39.42 प्रतिशत रहा। स्त्री शिक्षा का प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

महिला सशक्तिकरण के तहत सामाजिक आयामों में स्वयं से सम्बंद्ध निर्णय लेने में महिलाओं के अधिकार। विवाह की आयु के निर्णय का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अधिकार, बच्चों की संख्या व परिवार नियोजन में भागीदारी अपने भविष्य के लिए पाठ्यक्रम व्यवसाय चयन का अधिकार।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। सामाजिक मुद्दों के रूप में महिलाओं के विरूद्ध हुए उत्पीड़न, असमान व्यवहार तथा समाज से सम्बंद्ध निर्णयों में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गयी। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्तर पर दहेज, मृत्यु। अनुचित चित्रण, पति व अन्य संबंधियों द्वारा क्रूरता के विरोध में कानून निर्माण किये गये तथा महिलाओं को संरक्षण दिये जाने हेतु भारतीय दंड संहिता में 498 (अ) व 304 (ब) जैसी महत्वपूर्ण धाराएँ जोड़ी गयी। दहेज निषेध अधिनियम में परिवर्तन आये तथा घरेलू हिंसा को रोकने हेतु वर्ष 2005 में कानून का निर्माण किया गया।

महिलाओं के लिए बनाये गये कानूनों में न केवल महिलाओं के परिवारिक दृष्टिकोण अपितु सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया। इनका उद्देश्य समाज में महिलाओं के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।

समस्त महिला संरक्षण संबंधी नियम में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करते हैं तथा सामाजिक सशक्तीकरण के द्योतक कहे जा सकते हैं। महिलाओं के सामाजिक उत्थान संबंधी लक्ष्यों हेतु पारिवारिक अदालतें, महिला थाने, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पावास गृह, परिवार परामर्श केन्द्र अस्तित्व में आए। सामाजिक सशक्तिकरण से संबंद्ध कुछ विशेष नीतियाँ भी सरकार द्वारा बनाई गई है।

महिला सशक्तिकरण : आर्थिक आयाम

महिलाओं द्वारा लिए गये आर्थिक अधिकारों से सम्बंद्ध हस्तक्षेप, रोजगार तथा स्वअर्जित आय से संबंद्ध निर्णय आर्थिक सशक्तता सहित निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबन आर्थिक सशक्तीकरण कहा जा सकता है।

आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का वह आयाम है जिसमें महिलाएँ आर्थिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से सम्बंध प्रक्रिया का निर्वाह करने योग्य क्षमता का निर्माण कर सके। महिलाओं के आर्थिक विकास से तात्पर्य महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए जिन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वे मानवीय गौरव व मूल्यों को कायम रखते हुए उन्हें प्राप्त हो।

महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता वैश्विक स्तर पर 8 प्रतिशत से 77 प्रतिशत तक हैं भारतीय संदर्भ में यह मानक 28 प्रतिशत है। महिलाओं द्वारा आर्थिक स्तर पर सहभागिता महिला सशक्तिकरण के रूप में विद्यमान है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास से हेतु प्रयासों में वर्ष 2001 में 'स्यंमसिद्धा योजना' तथा 'राष्ट्रीय महिला कोष' का निर्माण किया गया। महिलाओं को स्वआश्रित बनाने हेतु 'स्वआधार कार्यक्रम' तथा 'महिला आर्थिक कार्यक्रम' संचालित किया गया। सन् 1987 में महिला रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के संदर्भ में की गयी। सरकार द्वारा इंदिरा महिला योजना अगस्त 1995 में प्रारंभ की गयी। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के ग्रामीण एवं निर्धन वर्गों हेतु आंगनवाड़ियों का निर्माण किया गया। महिलाओं के विकास हेतु वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस सम्बंध में राष्ट्रीय महिला नीति की उद्घोषणा 20 मार्च 2001 को की गयी। जिसने महिलाओं के उत्थान में सकारात्मक भूमिका निभाई।

महिलाओं हेतु सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किये जाने का उद्देश्य सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर की हिंसा से व्यथित महिला को उपयुक्त मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर उसे हिंसा से संरक्षण प्रदान कराये जाने में सहयोग देना है। इस हेतु ये केन्द्र संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों से सहयोग भी कर सकेंगे। सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं

की सार्वजनिक क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ी है तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सार्थक भूमिका देखी गयी है।

महिला सशक्तिकरण के प्रयास

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौरोबी में की गई थी। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक , शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है।

यद्यपि अनेक मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि कर्म–क्षेत्र की किसी भी दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरूषों से पीछे नहीं रहेगी। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अन्तरिक्ष, खेलकूद, राजनीति, कूटनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम् उपलब्धियों ने सिद्ध कर दिया है के यदि उन्हें पुरूषों के समकक्ष अवसर मिले तो वे अपने दायित्वों को निर्वाह अधिक अच्छे ढंग से कर सकती है।

संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 15 एवं 16 (मौलिक अधिकार) तथा अनु0 38 तथा 39 (राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत) के द्वारा स्त्री और पुरूष के मध्य केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव करने का निषेध किया गया है। अनु0 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम पर रोक लगाता है। उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी स्त्रियों के कल्याण से सम्बंधित अनेक विधानों का निर्माण हुआ जिनके चलते स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है।

महिला सशक्तिकरण हेतु
'बेटी –बचाओं और बेटी–पढ़ाओं योजना'

देश में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग रहे है। आजादी के बाद से महिला चिंता राष्ट्रीय लोकतंत्र में भी एक प्रमुख आयाम थी। जो सत्तर और अस्सी के दशक में शैक्षणिक चर्चा में भी शामिल हो गया।किन्तु इन सबके बावजूद आज भी महिला–पुरूष लिंगानुपात के असंतुलन के बीच बहस जारी है। आज भी महिला सुरक्षा के प्रति सभ्य समाज की चिंता जाहिर है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम पहल करते हुए 'बेटी बचाओं, बेटी–पढ़ाओ' नामक योजना शुरू की है। इस योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा विकास और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है।

मुख्य रूप से समाज में स्त्रियों को प्रदान किया गया। दोयम दर्जा समाप्त करने की दिशा में इस योजना का रूझान है। इसके अलावा लिंग निर्धारण की रोकथाम, भ्रूण हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनका विकास, शिक्षा प्रदान करना भी इस योजना की प्राथमिकता में है। इसके तहत शुरूआत में देश के 100 जिलों में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार आरम्भ में 100 करोड़ का बजटीय आवंटन कर रही है।

'बेटी बचाओ, बेटी–पढ़ाओं' योजना सामाजिक दायित्वों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और प्रेरित करती है कि वे समाज के उन संवेदनशील वर्गों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाए जिन्हें समाज ने ही संवेदनशील बनाया है। आज वैश्विक स्तर पर महिला अधिकार और महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष जोड़ना है। किन्तु क्या यह कुछ एक योजनाओं से फलीभूत हो सकता है? नही केवल योजनाओं के सहारे ऐसा संभव नहीं है। देश में शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करना और महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम और प्रभावशाली कदम हो सकता है। चूंकि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो समाज में विचारों का संचार करती है। सही में फर्क सिखाती है इसकी वजह से समाज में नैतिकता, स्थायित्व और बंधुता का विकास संभव है।

महिला विकास सम्बंधी नीतियाँ एवं क्रियान्वयन

महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों और पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है। ताकि महिलाओं को विशेष रूप से सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा सके। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत् है,

स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की संशोधित शिक्षा नीति और इसकी कार्ययोजना में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। औपचारिक एवं गैर–औपचारिक स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के दाखिले और उनकी पढ़ाई जारी रखने, ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा पाठ्यक्रम में लिंगभेद हटाने पर बल दिया गया है।

महिला एवं बाल–विकास

मानव संसाधन मंत्रालय का महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास का काम देखता है। यह विभाग एक राष्ट्रीय तंत्र के रूप में महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम और नीतियाँ बनाता है। तथा देश में महिलाओं और बच्चों के विकास व कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के कामकाज और गतिविधियों में तालमेल रखता है। विभाग के कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों और महिलाओं के कल्याण पर विशेष बल दिया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की सामान्य प्रगति की सुविधायें जुटाना और महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना है ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ठीक ढंग से लागू कराता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से सम्बंधित आवश्यक संशाधनों और व्यवस्थाओं से सम्बंधित सुझाव सरकार को देने का दायित्व सौंपा गया है। और इस तरह पहली बार स्वयं महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अपनी स्थिति का आकलन करे तथा अपनी स्थिति को सुधारने में उपेक्षित सहयोग दें।

महिला समाख्या कार्यक्रम

नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करने की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य सेवा प्रदान करना ही नही अपितु महिलाओं को अपने बारे में सोचने तथा महिलाओं की रूढ़िवादी भूमिका के प्रति समाज के विचारों में परिवर्तन लाना है।

राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति (2001)

महिला सशक्तिकरण हेतु 2001 में प्रथम बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई ताकि देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएँ निर्धारित किया जाना सम्भव हो सके। महिला उत्थान नीति की प्रमुख विशेषताएँ है–

1. देश में महिलाओं के लिए वातावरण तैयार करना जिससे वे यह महसूस कर सकें कि वे स्वयं आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ बनाने में शामिल है।
2. देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन्हें पुरूषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतन्त्रता का समान रूप से हिस्सेदार बनाना।
4. महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरूषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना।
5. महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और समुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।
6. देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाना।

उपर्युक्त सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए व राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को देश भर में पूरी तरह लागू करने के लिए 10 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गई

मानव संसाधन मंत्रालय का महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास का काम देखता है। यह विभाग एक राष्ट्रीय तंत्र के रूप में महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम और नीतियाँ बनाता है। तथा देश में महिलाओं और बच्चों के विकास व कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के कामकाज और गतिविधियों में तालमेल रखता है। विभाग के कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों और महिलाओं के कल्याण पर विशेष बल दिया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की सामान्य प्रगति की सुविधायें जुटाना और महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना है ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।

31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ठीक ढंग से लागू कराता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से सम्बंधित आवश्यक संशाधनों और व्यवस्थाओं से सम्बंधित सुझाव सरकार को देने का दायित्व सौंपा गया है। और इस तरह पहली बार स्वयं महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अपनी स्थिति का आकलन करे तथा अपनी स्थिति को सुधारने में उपेक्षित सहयोग

नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करने की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य सेवा प्रदान करना ही नही अपितु महिलाओं को अपने बारे में सोचने तथा महिलाओं की रूढ़िवादी भूमिका के प्रति समाज के विचारों में परिवर्तन लाना है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण हेतु 2001 में प्रथम बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई ताकि देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएँ निर्धारित किया जाना सम्भव हो सके। महिला उत्थान नीति की प्रमुख विशेषताएँ है–

1 देश में महिलाओं के लिए वातावरण तैयार करना जिससे वे यह महसूस कर सकें कि वे स्वयं आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ बनाने में शामिल है।
2 देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।
3 महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन्हें पुरूषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतन्त्रता का समान रूप से हिस्सेदार बनाना।
4 महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरूषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना।
5 महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और समुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।
6 देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाना।

उपर्युक्त सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए व राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को देश भर में पूरी तरह लागू करने के लिए 10 वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गई है।अध्ययन से स्पष्ट है कि एक बालिका ही सशक्त महिला बन अपने परिवार ,समाज और राष्ट्र के निर्माण एवं उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब हम महिला सशक्तीकरण की बात

करतें हैं तो हमारा तातपर्य महिलाओं के अवसर के साथ साथ जीवन के प्रत्येक स्तर पर बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर तथा संसाधन उपलब्ध हो,यह सुनिश्चित करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा रमा, मिश्रा एम0 के: महिला विकास (2012) अर्जुन पब्लिकेशन हाउस,नई दिल्ली।*
2. *डा0 शर्मा कृष्ण कुमार : महिला कानून और मानवाधिकार 2012 अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।*
3. *योजना सितम्बर 2016*
4. *कुरुक्षेत्र जनवरी 2016*
5. *प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2010*
6. *प्रतियोगिता दर्पण जून 2006*
7. *चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे मई 2010*